



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-806/2026/2320/22-2-2025-17(576)/2025
लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी नर सिंह (बन्दी सं0-48074) पुत्र श्री भीम, जो ग्राम-जलेबी नगला, थाना-गाढिया रंगीन, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-545/1992, भा0द0वि0 की धारा-307/149, 364/149, 302/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06, शाहजहांपुर के दण्डादेश दिनांक 05-04-2013 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2024 अपरिहार 12 वर्ष 01 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 07 माह 19 दिन की सजा भोगी जाने, सन्तोषजनक जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-806/2026/2320(1)/22-2-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।